न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2021 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 19.01.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/6

शंकर पिता हजारी जाति जाट आयु वयस्क, निवासी देवडा पिपली तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये उप तहसीलदार, भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.12.2020 न्यायालय उप तहसीलदार भादसोड़ा, प्रकरण संख्या 618/2020

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का आक्या की रिपोर्ट के आधार पर मौजा देवडा पिपली तहसील भदेसर बिलानाम आराजी नम्बर 350, 347 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमित भूमि से बेदखली एवं पेनाल्टी 2/– रूपये का 50 गुणा 100/– रू. शास्ति आरोपित

करने का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, भादसोड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का आक्या, तहसील भदेसर की रिपोर्ट के आधार पर मौजा देवडा पिपली की आराजी नम्बर 350, 347 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलांट का नाजायज कब्जा मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान 2 रूपये का 50 गुणा अर्थात् 100 रूपये की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट ने साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर मांगा लेकिन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश कर सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर चाहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 14.12.2020 को पारित किया है वह टाईप करके तैयार नहीं किया गया है बल्कि छपा-छपाया साईक्लो स्टाईल कॉपी में खाली जगह में रिक्त स्थान की पूर्ति कर तैयार किया गया है जो देखने से ही प्रतीत होता है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब पेश किया है फिर भी निर्णय के पैरा संख्या 2 में अपीलांट द्वारा मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया वर्णित किया है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर तो नहीं दिया गया है और ना ही उसके द्वारा पेश किए गए जवाब का अवलोकन किया है। भू-प्रबन्ध के अधिकारियों द्वारा त्रुटिवश खातेदारी की भूमि को बिलानाम चरनोट अंकित कर दी जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी भदेसर के यहां इन्द्राज दुरुस्ती का वादपत्र पेश

किया जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है फिर भी ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं जुर्माना राशि जमा कराये जाने का आदेश पारित किया है उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए यह विवादित आदेश पारित किया है जो पूर्णतया विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.12.2020 निरस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2020 का अवलोकन किया जिसके पैरा संख्या 2 में वर्णित किया है कि ‘‘इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को राज. लै. रे. एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया, जो बाद तामील पेश होकर शामिल फाईल किया गया। अतिक्रमी उपस्थित जिसने मौखिक रूप से अतिक्रमण करना स्वीकार किया।’’ जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में लिखित जवाब पेश किया है तथा आदेशिका दिनांक 06.10.2020 में भी लिखित जवाब पेश किया अंकित है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर नहीं देना तथा उसके द्वारा पेश किए गए लिखित जवाब का अवलोकन नहीं करना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.12.2020 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा पेश किए गए लिखित जवाब को रेकार्ड पर लेकर उसका अवलोकन कर, अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)